कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जौनपुर।

पत्र संख्या– एफ0एस0/निरी0–पेट्रोलपम्प(जौनपुर)/2018 दिनांक: फरवरी 19 ,2018

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

विषय:– आवेदक श्री रूपेश कुमार सेठ पुत्र श्री चन्द्रभान सेठ ग्राम–सरोखनपुर, थाना– बदलापुर, जौनपुर द्वारा गाटा/खसरा संख्या–625 स्थित ग्राम– पहितियापुर, तहसील – बदलापुर ,थाना–सिंगरामऊ, जनपद–जौनपुर, उ0प्र0,कि0मी0 स्टोन 31 व 32 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी द्वारा रिटेल आउटलेट (पिट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ:– आपका पृ0 स0: 1227(2)/श0लि0– जौनपुर दिनांक: 06–02–2018

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में आवेदक श्री रूपेश कुमार सेठ पुत्र श्री चन्द्रभान सेठ ग्राम–सरोखनपुर, थाना– बदलापुर, जौनपुर द्वारा गाटा/खसरा संख्या–625 स्थित ग्राम– पहितियापुर, तहसील– बदलापुर, थाना–सिंगरामऊ, जनपद–जौनपुर, उ0प्र0, कि0मी0 स्टोन 31 व 32 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु प्रस्तुत मानचित्र का परीक्षण तथा स्थल का अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो प्रस्तावित स्थल अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया। रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु निम्न व्यवस्थाएं एवं सुझाव वांछनीय है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था एवं सुझाव:–

1– बफर स्ट्रीप पेट्रोलियम एक्ट के मानक के अनुसार बनाया जाय।

2– स्थल पर कैनोपी का निर्माण मानक के अनुरूप किया जाय।

3– अन्य सभी शर्ते मानचित्र में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अंकित टिप्पणी नोट क्र0सं0 1 से 22 का अनुपालन किया जाय, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेसर्स/प्रबन्धन की होगी।

4– पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स 2010 के प्रपत्र 14 में उल्लेखित तथा पेट्रोलियम एक्ट के चैप्टर 4 के नियम संख्या 117 के अनुसार व्यवस्थापन सम्बन्धी शर्तों एवं सुझावों का अक्षरश: पालन किया जाय।

5– विद्युत सुरक्षा की जॉच सम्बन्धिम विभाग से करा लिया जाय ।

C.F.O

सी.आर. विजय कुमार
C.R. Vijaya Kumar
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager
वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय
Varanasi Retail Region
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

22.02

6– आईएस 2190–1992 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स की व्यवस्था निम्न संख्या में की जाय।

ए– ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा –	08 अदद
बी– स्थल पर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 50 लीटर–	01 अदद
सी– सी0ओ0टू0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा –	01 अदद
डी– फायर बकेट (सैन्ड)–	06 अदद
ई– फायर बकेट (वाटर)–	06 अदद
एफ– ब्लैकेट 1.20मी0 चौड़ा व 1.50मी0 लम्बा–	02 अदद
जी– प्रश्नगत स्थल पर पानी का अण्डर ग्राउण्ड टैंक क्षमता 10000ली0	01 अदद
एच– धूम्रपान निषेध का बोर्ड –	02 अदद

7– फायर स्टेशन जौनपुर का टेलीफोन नम्बर 05452–269999, मो0नं0–9454418612, आपात नम्बर–101, पुलिस कन्ट्रोल रूम नं0–100 का बोर्ड– 02 अदद

अतः आवेदक को इस शर्त पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) पर स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

19/2/18

(आर0पी0राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जौनपुर।

प्रतिलिपिः 1. आवेदक श्री रूपेश कुमार सेठ पुत्र श्री चन्द्रमान सेठ ग्राम–सरोखनपुर, थाना– बदलापुर, जौनपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. अग्निशमन अधिकारी जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सी.आर. विजय कुमार
C.R. Vijaya Kumar
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager
वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय
Varanasi Retail Region
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
22.05.2018